

7  
न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का अकका बनाम मदनलाल 810 प्रभाती जाट

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

रवेडकीतर्फेला

प्रकरण संख्या - 68/RA/2018

निर्णय दिनांक :- 22/3/19

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रवेडकीतर्फेला  
की आ.ख.न. 161 रकबा 0-19 किरम जमीन गण्ड में से 0-0  
रकबे पर 0-19 मदनलाल 810 प्रभाती जाट पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर .....  
मदनलाल 810 प्रभाती जाट द्वारा दिनांक 2-7/8

प्युडोमकी स्लमर का उक्त काल में कानून कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद  
2018 भू.अ.निरी. दारादा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया  
जाकर अतिक्रमी मदनलाल 810 प्रभाती जाट निवासी अकका को भू.  
राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील  
कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .....

उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।  
नही उक्त रकबा आ.ख.न. 161 रकबा 0-19 में से 0-0

रकबे किरम गण्ड है जो नियमन 0-19 लागू नहीं है हिहाजा वॉरसायम को आतिक्रमित  
रकबे से वेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 6 Paice का  
50 गुणा 31 रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा  
जावे, पैनल्टी वसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी अकका भू.अ.निरी. ....  
दारादा को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में  
सुनाया गया।

मदनलाल 810 प्रभाती जाट  
तहसीलदार  
कठूमर, अलवर (राज.)

प्रतिलिपि :- प. ए को पालनार्थ  
धरमावधी जमल पेश हो.